

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 199/2020

दायर दिनांक 31.12.2020

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।		1. रमजान खां पुत्र हुसैन खां वगैराह जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द, तहसील डीडवाना जिला नागौर, राज0।

प्रार्थना पत्र बाबत

चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकॉर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम- 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

--: निर्णय :-

दिनांक 19.03.2021

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ में आपने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/20/1982 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा ग्राम-बेरी खुर्द, पटवार मण्डल-बेरी खुर्द भू0अ0 निरीक्षक नूवां के खेत खसरा सं0 111, 112, 109, 22, 21, 20, 19, 25 व ग्राम जतनपुरा के खसरा सं0 03 की सरहद में संलग्न सूची के अनुसार चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी लियाकत खां पुत्र दीनदार खां बावजुद तामील के अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते बाबत अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जायेगा।

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार के परिपत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे के अनुसार ग्राम-बेरी खुर्द, पटवार मण्डल- बेरी खुर्द भू0अ0 निरीक्षक नूवां के खेत खसरा सं0 111, 112, 109, 22, 21, 20, 19, 25 व ग्राम जतनपुरा के खसरा सं0 03 का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जावे। संलग्न सूची व ट्रेस नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम हों।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
डीडवाना

